

	BUNDELKHAND SAHAKARI DUGDH SANGH MARYADIT SIRONJA, SAGAR (M.P.) 470004 AN ISO 9001: 2015 & ISO 22000:2005 Certified Organization E-mail: sanchimccsagar@gmail.com
---	---

Ref No: 230 /BKDS/IM/SAGAR/2024

Dated: 09.10.2024

NOTICE INVITING TENDER (E-TENDER) 2nd Call

SCRAP TENDER

स्क्रेप सामग्री (कोयले की राख, टूटी-फूटी मिल्क क्रेट, अनुपयोगी मिल्क पाउच फिल्म, एस.एम.पी बैग, वेस्टेज कोरेगटेड बॉक्स, खाली प्लास्टिक जार तथा ड्रम आदि) का विस्तृत विवरण निविदा प्रपत्र एवं एमपीसीडीएफ की वेबसाइट sanchidairy.com & www.sanchisagar.com पर भी उपलब्ध है। डाउनलोड किये निविदा प्रपत्र का मूल्य निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना होगा।

निविदा दस्तावेज क्रय करने की प्रारंभिक दिनांक व समय	10.10.2024 दोपहर 12:00 बजे से
निविदा दस्तावेज क्रय करने की अंतिम दिनांक व समय	16.10.2024 दोपहर 03:00 बजे तक
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम दिनांक समय	16.10.2024 दोपहर 04:00 बजे तक
निविदा दस्तावेज खोलने की दिनांक व समय	18.10.2024 दोपहर 01:00 बजे
Envelop 'A' (TECHNICAL BID & EMD ONLY ONLINE)	18.10.2024 दोपहर 01:00 बजे
Envelop 'B' (PRICE BID SUBMITTED ONLY ONLINE)	19.10.2024 दोपहर 01:00 बजे
निविदा दस्तावेज खोलने का स्थान	बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सिरोंजा, सागर (म.प्र.)
निविदा प्रपत्र का मूल्य	1000 /- रुपये

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, नरसिंहपुर रोड सिरोंजा, सागर

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा निविदा (स्क्रैप मेटेरियल) “जहां एवं जिस स्थिति में है” के विक्रय हेतु दरें आमंत्रित की जाती हैं। विस्तृत विवरण एवं सामान्य शर्तें अनुसूची क्रमांक प्रथम में दर्शाया गया है। स्क्रैप मात्रा तथा प्रतिभूति राशि की जानकारी अनुसूची द्वितीय में वर्णित है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को प्राप्त किसी एक या सम्पूर्ण निविदायें निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके लिये उन्हें कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

निविदा प्रस्तुति :- (पूर्णतः ऑनलाइन)

- (अ) निविदायें निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को नियत दिनांक को समय सीमा में प्राप्त हो जाना चाहिए।
- (ब) नियत दिनांक व समय को प्राप्त निविदायें खोली जावेंगी।
- (स) निविदाकर्ताओं को स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि निविदाओं में पता, दूरभाष फ़ैक्स नम्बर आदि में कोई परिवर्तन होता है तो समय पर ही दुग्ध संघ, बुन्देलखण्ड दुग्ध संघ कार्यालय को सूचित करें ताकि पत्राचार परिवर्तित पते पर किया जा सके।

धरोहर राशि :-

- (अ) सभी निविदाकर्ताओं को यह अनिवार्य है कि धरोहर राशि ऑनलाईन जमा करना होगी जिसका विवरण अनुसूची में इंगित किया है, निविदाओं के साथ जमा करना होगा। अन्य किसी प्रकार से प्रेषित धरोहर राशि को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। बिना धरोहर राशि की निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- (ब) धरोहर राशि असफल, निविदाकर्ताओं को निविदा अनुमोदन के 90 दिन के अन्दर वापिस की जायेगी। सफल निविदाकर्ताओं की धरोहर राशि संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि उपरान्त ही वापिस की जायेगी।
- (स) धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- (द) धरोहर राशि ऑनलाईन जमा कर रसीद की प्रति ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित करें जो कि निविदा के साथ संलग्न होगी।

मूल्य/दर :-

निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अनुपयोगी वस्तुओं की दरें निविदा अवधि में स्थिर रहेंगी। साथ ही संघ द्वारा निर्धारित समय अवधि तक दरों की वैधता को ध्यान में रखकर दरें प्रेषित करें। दरों का अनुमोदन निविदा खुलने के 30दिवस में सूचित किया जायेगा।

॥ अनुसूची प्रथम ॥

सामान्य शर्तें –

- (1) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को अनुपयोगी वस्तुओं के विक्रय का सम्पूर्ण अधिकार है।
समस्त निविदायें या किसी निविदा को संपूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का सुरक्षित रहेगा।
बिका हुआ निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है तथा विक्रय उपरान्त इसे वापिस नहीं लिया जावेगा।
- (2) निविदा में गलत पता और सही परिचयात्मक न होने के कारण निविदा स्वीकृत न हो सके तो उसका उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा, संघ का नहीं।
- (3) निविदा खुलने के उपरान्त निविदाकर्ताओं को निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में प्रेषित दरों के लिये निविदाकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (4) निविदा में सुधार या ओव्हर राईटिंग पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है तथा ओव्हर राईटिंग पर विवरण पुनः स्पष्ट लिखें।
- (5) संघ द्वारा अनुमोदित निविदाकर्ता, को संघ अनुपयोगी वस्तुओं की कोई भी निश्चित मात्रा अंश या बिल्कुल नहीं विक्रय करने के लिये स्वतंत्र है।
- (6) निविदाकर्ता को, संघ की अनुपयोगी वस्तुएं अनुसूची प्रथम "जहां है जैसी हैं, वैसी ही स्थिति में (क़य करना) उठाना होगी। छांट कर नहीं उठाय जा सकेगा। स्क्रेप गीला, सूखा क़य करना/उठाना होगा।
- (7) निविदा में दरें स्वीकृत होने के 07 दिवस में उपलब्ध समस्त स्क्रेप क़य करना/उठाना होगा। तत्पश्चात निविदाकर्ता को प्रतिमाह के द्वितीय सप्ताह में सहायक महाप्रबन्धक (भण्डार) से स्क्रेप मेटेरियल उठाने हेतु सम्पर्क करना होगा।
स्क्रेप को संघ के निर्देशानुसार समयावधि में अनुमोदित पार्टी को क़य करना अनिवार्य है।
- (8) संघ द्वारा अनुमोदित निविदाकर्ता को अनुपयोगी वस्तु उठाने हेतु दो स्मरण पत्र दिये जावेंगे जो डाक द्वारा भेजे जावेंगे। उनके उत्तर अप्राप्त होने या उस पर निविदाकर्ता द्वारा वांछित क़य कार्यवाही न करने की स्थिति में संघ को निविदाकर्ता की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि जब्त करने का अधिकार होगा।
- (9) निविदाकर्ता अनुसूची क्रमांक-2 में दर्शाई धरोहर राशि वर्ग समूह के आधार पर प्रेषित करना अनिवार्य है। सफल निविदाकर्ताओं को धरोहर राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा रहेगी। माल नहीं उठाने पर निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।

- (10) यदि निविदाकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति कोई दरें प्रेषित करता है एवं यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को नियम के विपरीत लगता है तो वह निविदा निरस्त कर सकते हैं।
- (11) निविदाकर्ता द्वारा अनुपयोगी वस्तु की जितनी मात्रा होगी उतनी ही मात्रा उठाना होगी। संघ की किसी भी अनुपयोगी वस्तु की मात्रा को छांटने की अनुमति निविदाकर्ता को नहीं होगी।
- (12) यदि कोई निविदाकर्ता इस निविदा में सम्मिलित होता है तो यह माना जावेगा कि उसे निविदा की सारी शर्तें स्वीकार हैं। निविदाकर्ता की कोई भी शर्त संघ को मान्य नहीं होगी।
- (13) अनुपयोगी एस.एम.पी. पाउडर बैग, बोरी तथा निविदा में वर्णित अन्य स्क्रेप एकत्रित करने के लिये निविदाकर्ता को स्वयं, अपना प्रतिनिधि दुग्ध संघ द्वारा अवगत कराने पर सात दिनों के अंदर डेयरी में भेजना होगा। असफल होने की स्थिति में संघ द्वारा स्क्रेप एकत्रित कराया जायेगा, जिसका व्यय स्वयं निविदाकर्ता को वहन करना होगा।
- (14) स्क्रेप सामग्री का अवलोकन कार्यालयीन समय में निविदा जमा करने की नियत समय सीमा तक किया जा सकेगा।
- (15) क्रय प्रणाली एवं भुगतान – प्रत्येक आयटम/लॉट का विक्रय बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर द्वारा निर्धारित समस्त प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जावेगा। सामग्री का निर्गमन निर्धारित धनराशि जमा करवाने के पश्चात् भण्डार शाखा द्वारा आवश्यक प्रपत्र मिलने के बाद ही कार्यालयीन दिवसों में सांय 4.00 बजे तक किया जायेगा खाली गाड़ी व भरी गाड़ी तौलने हेतु संघ के नियमानुसार स्क्रेप क्रेता को शर्तें मान्य करना अनिवार्य है अर्थात् खाली गाड़ी पहले संघ के तौल कांटे पर तौल की जावेगी, इसके बाद तौल कांटे पर वजन किया जावेगा यही प्रक्रिया भरी गाड़ी के वजन कराने में अपनाई जावेगी जिसे निविदाकर्ता को मान्य करना होगा।
- (16) निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सामग्री की मात्रा अनुमानित है जिसे उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर विक्रय किया जावेगा।
- (17) निविदाकर्ता को स्क्रेप पर नियमानुसार आयकर व अन्य कर निविदाकर्ता द्वारा वहन करना होगा। साथ ही निविदा प्रपत्र में प्रदर्शित निर्धारित ईकाई अनुरूप ही अपनी क्रय दर दर्शाना होगी।
- (18) उपयोगी सामग्री को संघ किसी भी समय अलग निकालने को स्वतंत्र रहेगा एवं अनुबंधकर्ताओं को अनुपयुक्त या क्षतिग्रस्त सामग्री की मात्रा को स्वीकार कर क्रय करना होगा।
- (19) स्क्रेप बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर के निर्देश अनुसार पूर्णतः क्षतिग्रस्त करके ही विक्रय किया जायेगा।

- (20) संघ के कर्मचारी/अधिकारी को स्वयं के वास्ते जो सामान की आवश्यकता होगी उसे विक्रय नहीं किया जा सकेगा, इसमें निविदाकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
- (21) निविदाकर्ता द्वारा स्क्रेप क्रय हेतु दी गई दरें संघ द्वारा दरों की अनुमोदन तिथि से एक वर्ष के लिये मान्य होंगी।
- (22) प्लास्टि स्क्रेप क्रयकर्ता म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- (23) निविदाकर्ता द्वारा आदेश का क्रियान्वयन न करने पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर का होगा।

(1) विवादास्पद स्थिति में अंतिम निर्णय :-

- (1) निविदाकार एवं दुग्ध संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वाद आर्बीट्रेशन हेतु प्राधिकृत अधिकारी/अध्यक्ष, बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर को सदर्भित किया जायेगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आर्बीट्रेशन की कार्यवाही आर्बीट्रेशन एण्ड कौंसिलियेशनस अधिनियम 1996 के अन्तर्गत संदर्भित होगी।
- (2) समस्त विवादों के निराकरण के लिए न्यायालयीन कार्यक्षेत्र सागर शहर रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

॥ अनुसूची द्वितीय ॥

अनुपयोगी वस्तुओं की सूची एवं प्रतिभूति/धरोहर राशि का विवरण

क्रमांक	अनुपयोगी वस्तु का नाम	दरें प्रेषित करने की इकाई	अनुमानित मात्रा	सुरक्षा राशि
1	कोयले की राख	प्रति टन	100 मै.टन	5000.00
2	टूटी मिल्क क्रेट प्लास्टिक	प्रति कि.ग्राम.	1800 नग	5000.00
3	लीकेज मिल्क पाउच फिल्म (अनुपयोगी)	प्रति कि.ग्राम.	5 मै.टन	5000.00
4	एस.एम.पी काफ्टपेपर बैग 25 किग्रा. साईज	प्रति कि.ग्राम.	3000 नग	2000.00
5	वेस्टेज कोरोगेटेड बॉक्स	प्रति किग्रा.	2 मैट्रिक टन	4000.00
6	खाली जार 50 लीटर	प्रति नग	200 नग	1000.00
7	खाली ड्रम 200 लीटर	प्रति नग	150 नग	1000.00
8	एस.एम.पी प्लास्टिक लाईनर 25 किग्रा. साईज	प्रति कि.ग्रा. दर	3000 नग	2000.00

उपरोक्त मात्राएं अनुमानित है, जो कम/अधिक हो सकती है।

**बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
नरसिंहपुर रोड सिरोंजा, सागर**

Envelope – “A” (Technical Bid& EMD)

1	निविदाकार का नाम	
2	पूरा पता	
3	फोन नं०/मोबाइल नं०	
4	रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार (दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)	
5	आयकर पेन का विवरण	
6	कर संबंधित जानकारी (यदि है तो)	
	(अ) जी.एस.टी.एन नं.	
7	ई.एम.डी राशि	

नाम:—

पद का नाम:—

सील एवं हस्ताक्षर:—

**बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
नरसिंहपुर रोड सिरोंजा, सागर**

Envelope – “B” (Price Bid Only Online Submitted)

	अनुपयोगी वस्तु का नाम	दर (टैक्स अतिरिक्त क्रेता पार्टी द्वारा देय) अंकों में शब्दों में
1	कोयले की राख प्रति टन	
2	टुटी मिल्क क्रेट प्लास्टिक प्रति कि.ग्राम.	
3	लीकेज मिल्क पाउच फिल्म (अनुपयोगी) प्रति कि.ग्राम.	
4	एस.एम.पी क्राफ्टपेपर बैग 25 किग्रा. साईज प्रति कि.ग्राम.	
5	वेस्टेज कोरोगेटेड बॉक्स	
6	खाली जार 50 लीटर प्रति नग	
7	खाली ड्रम 200 लीटर प्रति नग	
8	एस.एम.पी प्लास्टिक लाईनर 25 किग्रा. साईज प्रति कि.ग्राम.	

Other Terms & Conditions

1	Taxes: As Per Govt. Rules	
2	Delivery Schedule: As Per Tender	